प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

1 निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2 अपर निदेशक,
महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

3 अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

4 अपर निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0 देहरादून।

5 अपर निदेशक (प्रा0शि0 / मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

6 सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।

7 मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

8 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0 / मा0)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: सेवायें–3 / 8260-72 / काउंसिलिंग / 2021–22 दिनांक: 01 नवम्बर, 2021

विषयः– **वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–124 / XXIV–2 / 21 / 13(01) / 2021 दिनांक 09–07–2021 के द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में शर्तें / प्रतिबन्ध निर्धारित किये गये हैं। शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रधान सहायक पद पर पदस्थापना दिनांक 22–11–2021 एवं 23–11–2021 को प्रातः 10.00 बजे काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून में की जानी है। वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत कार्मिकों की सूची एवं रिक्तियां विभागीय वैबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड की जा रही हैं।

1. काउंसिलिग संबंधी शासनादेश सं0–124 / XXIV–2 / 21 / 13(01) / 2021 दिनांक 09–07–2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–3घ के अन्तर्गत गम्भीर रोग से आच्छादित कार्मिक, धारा–3 के अधीन विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, ऐसे कार्मिक जिनके पुत्र / पुत्री स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हो, वरिष्ठ कार्मिक, सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों तैनात कार्मिकों की पति / पत्नी, दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिक एवं मान्यता प्राप्त सेवा संघों के जनपदीय अध्यक्ष / सचिव को काउंसिलिंग में चकानुकम में प्राथमिकता दी जायेगी।
2. वेबसाइट पर अपलोड की गयी प्रधान सहायक के पदों की रिक्ति (नवीन रिक्ति सहित) एवं कार्मिकों के विवरण के संबंध में यदि कोई कार्मिक प्रत्यावेदन देना चाहता है तो संबंधित कार्मिक अपना प्रत्यावेदन पुष्ट प्रमाण सहित दिनांक 15–11–2021 को सांय 05.00 तक निदेशालय को उपलब्ध कराये। इसके उपरान्त निदेशालय को उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
3. प्रधान सहायक पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिक जो गम्भीर रोग ग्रस्त हों, विकलांगता की श्रेणी वाले कार्मिक, ऐसे पति–पत्नी जिनका इकलौता / दौनो पुत्र / पुत्री विकलांगता की श्रेणी में

हो, को सक्षम प्राधिकारी (राज्य मेडिकल बोर्ड) द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक 15–11–2021 को सांय 5.00 बजे तक ई–मेल/डाक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा।

4. सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी का संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संघों के अध्यक्ष तथा सचिव जिनमें जनपदीय अध्यक्ष/सचिव (जनपद में पद की उपलब्धता के दृष्टिगत स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुसार अनुमन्य श्रेणी में) को कार्यकाल का प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने पर ही वरीयता का लाभ दिया जाना सम्भव होगा।
5. काउंसिलिंग दिनांक 22–11–2021 एवं 23–11–2021 को प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में देहरादून में सम्पन्न होगी। जो कार्मिक काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं होंगे, उन कार्मिकों की पदस्थापना स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अवशेष रिक्त पदों के सापेक्ष कर दी जायेगी।
6. औपबन्धिक रूप से सूची में सम्मिलित कार्मिक को राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके उपरान्त ही उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाना संभव हो पायेगा।
7. काउंसिलिंग में उपस्थित समस्त कार्मिक कोविड–19 रोकथाम हेतु जारी एस0ओ0पी0 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ सहायक जिनकी पदोन्नति प्रधान सहायक पद पर पदोन्नति प्रस्तावित है, को काउंसिलिंग के संबंध में अवगत कराते हुए तदनुसार काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु भी तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

01.11.2021

(एस0पी0 खाली)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्याः सेवायें–3/ 8260-72 /काउंसिलिंग/2021–22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून।
10. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड। (मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा)
12. सम्बन्धित कार्मिक। (मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा)

01.11.2021

(एस0पी0 खाली)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड